UPRN010009102026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7, कानपुर देहात।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 426/2026

सुधीर. . . . . . बनाम. . . . . . . **उ०प्र० सरकार।**

अ०सं०- 169/2024

धारा- 221 BNS/186 IPC, 223 BNS/188 IPC, 324(3) BNS/427 IPC, 224 BNS/189 IPC, 126(2) BNS/341 IPC, 125 BNS/336 IPC, 121 BNS/332 IPC, 132 BNS/353 IPC, 191(2) BNS/147 IPC, 192 BNS/153 IPC, 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान नि० अधि० व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम

थाना- सिकन्दरा

जनपद- कानपुर देहात।

दिनांकः 09.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **सुधीर पुत्र श्री गयाप्रसाद, निवासी ग्राम बनवारीपुर, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात** की ओर से मु०अ०सं०- 169/2024, अन्तर्गत धारा- 221 BNS/186 IPC, 223 BNS/188 IPC, 324(3) BNS/427 IPC, 224 BNS/189 IPC, 126(2) BNS/341 IPC, 125 BNS/336 IPC, 121 BNS/332 IPC, 132 BNS/353 IPC, 191(2) BNS/147 IPC, 192 BNS/153 IPC, 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान नि० अधि० व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र द्वारा सुधीर, अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि यह

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.03.09 16:03:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या लखनऊ बेंच में न ही दाखिल किया है और न ही विचाराधीन है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 18. 08. 2024 को समय करीब 16:30 बजे जरिये दूरभाष सूचना मिली कि मृतक पंकज पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी अल्हनीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात जिसको अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से कई वार कर हत्या कर दी गयी थी। जिसके संबंध में थाना सिकन्दरा में मु०अ०सं०-166/ 2024, धारा- 103, 238 बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया था। परिवारीजनों, ग्रामवासियों, रिश्तेदारों, परिचितों जिनमें महिलायें एवं पुरूष सभी शामिल हैं, के द्वारा हरिहरपुर चौराहा कस्बा सिकन्दरा में भोगनीपुर से सिकन्दरा (मुगल रोड) हाइवे मार्ग पर मृतक पंकज के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाये हुए हैं तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी नारेबाजी कर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने काफी समझाने- बुझाने का हर सम्भव प्रयास किया, लेकिन नहीं माने और उग्र हो गये। भीड़ में मौजूद कुछ अराजक तत्व के लोगों द्वारा भीड़ को भड़काने व उकसाने का काम किया गया जिस कारण भीड़ उग्र हो गयी। परिस्थिति को देखते हुये प्र०नि० द्वारा थाने पर उपस्थित अन्य पुलिस फोर्स को शान्ति व्यवस्था हेतु जरिये कार्यालय सम्पर्क कर मौके पर बुलाया गया एवं उपजिलाधिकारी महोदय सिकन्दरा व क्षेत्राधिकारी महोदय सिकन्दरा को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि कुछ देर बाद श्रीमान उपलजिलाधिकारी सिकन्दरा व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा महोदय मय सरकारी व हमराहीयान के हरिहर चौराहे पर उपस्थित आये जिनके द्वारा भी मौजूद भीड़ को काफी समझाने- बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अराजक तत्वों के उकसाने के कारण भीड़ में मौजूद कोई व्यक्ति बात सुनने को तैयार नहीं हुआ और अपने मनमाने ढंग से आक्रोशित होकर श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सिकन्दरा व चौकी प्रभारी रसधान थाना सिकन्दरा के सरकारी वाहन पर ईंट- पत्थर फेंक कर मारने लगे तथा सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा मौजूद पुलिस बल को दौड़ाकर ईट- पत्थर मारकर चोट पहुंचायी गयी तथा प्र०नि० महोदय द्वारा व मुझ व०उ०नि० व थाने के अन्य महिला व पुरुष कर्मचारीगण द्वारा मृतक के परिजनों व साथ में आयी भीड़ को काफी समझाने का प्रयास किया गया, किन्तु परिजनों व भीड़ द्वारा कार्य सरकार को बाधित करते हुये और उग्र हो गये। सभी लोगों द्वारा सरकारी वाहन में तोड़- फोड़ कर पुलिस

कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए धमकियां दी गयीं। मुगल रोड (हाइवे) पूरी तरह बाधित कर दिया गया व एकत्रित भीड़ एवं परिवारीजनों, रिश्तेदारों द्वारा नारेबाजी की जाने लगी जिससे आस-पास रक्षाबन्धन त्यौहार के दृष्टिगत दुकानों पर खरीददारी कर रही महिलायें, पुरुष, बच्चों में अफरा-तफरी मच गयी तथा आने-जाने वाले लोग भय से अपने दो रास्ते पीछे मुड़कर इधर-उधर जाने लगे जिससे उक्त क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया व भय व्याप्त हो गया जिस वजह से मौके पर अराजकता का माहौल बन गया। उक्त घटना में अराजक तत्वों जिसमें सुरेन्द्र कटियार पुत्र विश्वनाथ कटियार निवासी तारनपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात, सुधीर कटियार उर्फ लभ्भड पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम बनवारीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात, रजत कटियार पुत्र राजेश कटियार निवासी पीताम्बरपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात, प्रशान्त कटियार उर्फ लालू कटियार पुत्र अज्ञात निवासी खालेगांव थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, महेन्द्र कटियार उर्फ संजू पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम निन्हौरा थाना सिकन्दरा कानपुर देहात, अजय कटियार पुत्र अज्ञात निवासी जमौरा हाल पता विकास नगर हरिहरपुर चौराहा थाना सिकन्दरा कानपुर देहात, अंकित कटियार पुत्र राजेश कटियार निवासी ग्राम पीताम्बरपुर थाना सिकन्दा जनपद कानपुर देहात, सोनू उर्फ आलोक कटियार पुत्र अज्ञात निवासी अमौली थाना डेरापुर हाल पता विकास नगर कुमार स्टूडियो के सामने थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात, अनिल कटियार पुत्र दयाराम निवासी निमदापुर उर्सान थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात मोटरसाइकिल नं०-UP77AC8522, रामपाल कटियार पुत्र विशम्भर निवासी अल्हनीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात, रितिक कटियार पुत्र राजेश कटियार निवासी पीताम्बरपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात, अनुज कटियार पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम कुंवरपुर थाना सट्टी हाल पता विकास नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात, जयनीत कटियार पुत्र राजेश कटियार निवासी जमौरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात, आदर्श पुत्र रामचन्द्र निवासी पीताम्बरपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात, सौरभ चौबे पुत्र अज्ञात, अशोक चौबे पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम मिरगांव थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात, अंशू कटियार पुत्र मुन्जू कटियार निवासी अल्हनीपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात, अनुराग कटियार पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम पीताम्बरपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात और लगभग 25-30 व्यक्ति महिला/पुरुष के नाम पता अज्ञात के द्वारा उपरोक्त घटना कारित की गयी है।

जबकि वर्तमान समय में धारा-163 बी०एन०एस०एस० प्रभावी थी जिसके बाद भी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से जाम लगाकर बलबा कर घटना को अन्जाम दिया गया है तथा पुलिस प्रशासन के कार्यों में बाधा उत्पन्न की है तथा पुलिस प्रसाशन को धमकी भरे नारेबाजी की गयी है तथा पुलिस प्रसाशन पर हमला कर ईंट पत्थर मारकर चोट पहुंचायी गयी है। उक्त घटना उक्त लोगों द्वारा समय 16:30 बजे से 19:00 बजे के मध्य कारित की गयी है।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक एवं अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त **सुधीर** के द्वारा कानून-व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हुए पुलिस पार्टी पर बल का प्रयोग किया गया, समाज में अराजकता उत्पन्न की गयी। आसपास के लोगों से अभियुक्त की शिनाख्त कराने के उपरान्त पुलिस के द्वारा नामजद तहरीरी अभियुक्त के विरूद्ध दी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहा है। उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट का आदेश विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त करने का तर्क रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त का अपराध धारा-482 बी०एन०एस०एस० की परिधि में नहीं आता है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे के माध्यम से अपनी कार्यशैली छिपाने का प्रयास किया गया है। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। तहरीर पढ़ने से ही स्पष्ट होता है कि थाना हाजा की पुलिस द्वारा परिजन व जनता की आवाज दबाने हेतु उक्त लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है जिसका कोई स्वतंत्र साक्षी व जनता का गवाह नहीं है। मेडिकल मुआयना देखने के आधार पर किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं पायी गयी है। यदि थाना पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है तो उसका शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का सन्दर्भ देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं की है। उसे झूठा फंसाया गया

है। यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता है तो जमानत की शर्तों का पालन करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा विचार किया गया। उपलब्ध प्रपत्रों का प्रथमदृष्टया अवलोकन किया गया।

प्रथमदृष्टया प्रस्तुत प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना हो चुकी है। दौरान विवेचना अभियुक्त को धारा- 41 दं०प्र०सं० की नोटिस दी गयी है। विवेचना में अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान देने का कथन किया गया। प्रथमदृष्टया विवेचक के द्वारा सम्पूर्ण विवेचना में अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गयी। प्रथमदृष्टया प्रस्तुत प्रकरण में बाद विवेचना आरोप पत्र दिनांक 16. 04. 2025 को प्रेषित हो चुका है। प्रथमदृष्टया पत्रावली पर अभियुक्त पक्ष को सम्मन की तामीला तथा उसके उपरान्त गैर जमानतीय वारण्ट आदेशिका से संबंधित प्रपत्र व आदेश पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। प्रथमदृष्टया प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा आवेदक/ अभियुक्त **सुधीर पुत्र श्री गयाप्रसाद, निवासी ग्राम बनवारीपुर, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात** की ओर से मु०अ०सं०- 169/ 2024, अन्तर्गत धारा- 221 BNS/ 186 IPC, 223 BNS/ 188 IPC, 324(3) BNS/ 427 IPC, 224 BNS/ 189 IPC, 126(2) BNS/ 341 IPC, 125 BNS/ 336 IPC, 121 BNS/ 332 IPC, 132 BNS/ 353 IPC, 191(2) BNS/ 147 IPC, 192 BNS/ 153 IPC, 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान नि० अधि० व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 426/ 2026 स्वीकार किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त/ आवेदक **सुधीर** को प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तो उसे 50,000/ - रु० का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं एक प्रतिभू पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रिहा किया जायेगा।

1. अभियुक्त/ आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

2. अभियुक्त/ आवेदक किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

उपरोक्त आदेश, सक्षम न्यायालय के समक्ष दिनांक 23. 03. 2026 को उपस्थिति एवं जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुति तक प्रभावशाली रहेगा। साथ ही अभियुक्त को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

दिनांकः 09. 03. 2026 **(अपर्णा त्रिपाठी- प्रथम)**

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7,

कानपुर देहात

JO Code: UP1628